

भारतीय तार अधिनियम, 1885

(1885 का अधिनियम संख्यांक 13)¹

[22 जुलाई, 1885]

भारत में तारयंत्र से संबंधित विधि के संशोधन के लिए अधिनियम

यतः भारत में तारयंत्र से संबंधित विधि का संशोधन करना समीचीन है; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, स्थानीय विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 कहा जा सकेगा।

²[(2) इसका विस्तार ³*** संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 1885 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।]

2. निरसन और व्यावृत्ति—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1), धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो—

⁴[(1) “निधि” से धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि अभिप्रेत है;

(1क) “सार्वभौमिक सेवा बाध्यता” से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ⁵[दी जा सकने वाली और युक्तियुक्त कीमतों पर तार सेवाओं तक जनता की पहुंच की व्यवस्था करने के लिए बाध्यता] अभिप्रेत है;]

⁶[(1कक)] “तारयंत्र” से किसी प्रकार के चिहनों, संकेतों, लेखन, प्रतिबिम्बों और ध्वनियों अथवा आसूचना का तारयंत्र, चाक्षुष या अन्य विद्युत्-चुम्बकीय उत्सर्जनों, रेडियो तरंगों अथवा हर्ट्सी तरंगों, गैल्वनीय, विद्युत् या चुम्बकीय साधनों से पारेषण या प्राप्ति के लिए प्रयुक्त या प्रयोक्तव्य कोई साधित्र, उपकरण, सामग्री या यंत्र अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण—“रेडियो तरंगों” या “हर्ट्सी तरंगों” से कृत्रिम निदेश के बिना अंतरिक्ष में संचारित 3000 जीगा-साइकिल प्रतिसेकेंड से कम आवृत्तियों की विद्युत्-चुम्बकीय तरंगें अभिप्रेत हैं;]

(2) “तारयंत्र अधिकारी” से ⁷[केन्द्रीय सरकार] द्वारा या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या चालित तारयंत्र के सम्बन्ध में या तो स्थायी या अस्थायी रूप से नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(3) “संदेश” से कोई संसूचना अभिप्रेत है जो तारयंत्र द्वारा भेजी जाए या तारयंत्र द्वारा भेजी जाने के लिए या परिदत्त की जाने के लिए किसी तारयंत्र अधिकारी को दी जाए;

(4) “तारयंत्र लाइन” से तार या तारों को परिवेष्टित करने वाले किसी वेष्टन, विलेपन, ट्यूब, या पाइप सहित ऐसा या ऐसे तार, जिनका उपयोग तारयंत्र के प्रयोजन के लिए किया जाता है और ऐसे तार या तारों को लगाने या रोधित करने के प्रयोजन से उनसे संबंधित कोई साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है;

(5) “खम्बे” से तारयंत्र लाइन को वहन करने वाला, निलम्बित रखने वाला या आलम्ब देने वाला खम्बा, स्तम्भ, दण्ड, टेक, थूनी या भूमि के ऊपर कोई अन्य युक्ति अभिप्रेत है;

¹ इस अधिनियम का गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर अधिसूचना सं० का० आ० 2735, तारीख 1 सितम्बर, 1962 द्वारा (1-9-1962 से) विस्तार किया गया देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृष्ठ० 1991-92, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया और उसे प्रवृत्त किया गया।

² 1948 के अधिनियम सं० 45 की धारा 2 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “हैदराबाद राज्य को छोड़कर” शब्दों का लोप किया गया। जो विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे।

⁴ 2004 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा खंड (1), खंड (1कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित तथा उससे पूर्व खंड (1) और खंड (1क) (1-4-2002 से) अंतःस्थापित।

⁵ 2006 के अधिनियम सं० 57 की धारा 2 द्वारा (30-10-2006 से) प्रतिस्थापित।

⁶ 1961 अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा खण्ड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(6) “तारयंत्र प्राधिकारी” से ¹[डाकतार] महानिदेशक अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन तारयंत्र प्राधिकारी के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत है;

(7) “स्थानीय प्राधिकारी” से ऐसी कोई नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध के लिए वैधरूपेण हकदार है अथवा ²[केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार] द्वारा न्यस्त है।

³* * * * *

भाग 2

सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियां

4. तारयंत्रों के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार और अनुज्ञप्तियों के अनुदान की शक्ति—⁴[(1)] ⁵[भारत] के भीतर तारयंत्रों की स्थापना, अनुरक्षण तथा चालन का अनन्य विशेषाधिकार केन्द्रीय सरकार का होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को ⁶[भारत] के किसी भाग के भीतर तारयंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों पर और ऐसे संदायों के प्रतिफलार्थ अनुदत्त कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे :

⁶परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नियमों के द्वारा, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अधीन, जैसे वह ठीक समझती है, निम्नलिखित की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञा दे सकेगी—

(क) भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर पोतों पर ⁷[और ⁵[भारत] में के या उसके ऊपर के या भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर] के वायुयानों पर बेतार के तारयंत्र, और

(ख) ⁵[भारत] के किसी भाग के भीतर बेतार के तारयंत्रों से भिन्न तारयंत्र।]

⁸[स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने के लिए किए गए संदायों के अंतर्गत ऐसी राशि होगी जो सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के लिए हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त की गई सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् अवधारित की जाए।]

⁶[(2) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अपनी सब शक्तियों या उनमें से किसी को तारयंत्र प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

ऐसी प्रत्यायोजित किसी शक्ति का तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा प्रयोग ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अधीन किया जाएगा जैसे केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे।

⁹[5. अनुज्ञप्त तारयंत्रों का कब्जा लेने की और संदेशों को अन्तर्द्वय करने का आदेश देने की सरकार की शक्ति—(1) किसी लोक आपात के होने पर, या लोक सुरक्षा के हित में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या चालित किसी तारयंत्र का अस्थायी कब्जा (तब तक के लिए, जब तक कि लोक आपात विद्यमान रहे या लोक हित में ऐसी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित हो) ले सकेगा।

(2) किसी लोक आपात के होने पर, या लोक सुरक्षा के हित में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, उस दशा में जब उसका समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों में अथवा किसी अपराध के किए जाने के उद्दीपन के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या उसके द्वारा, या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित कोई संदेश या संदेशों का कोई वर्ग, जो किसी तारयंत्र द्वारा पारेषणार्थ लाया गया है या पारेषित या प्राप्त हुआ है, पारेषित नहीं किया जाएगा या अन्तर्द्वय या निरुद्ध किया जाएगा या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में वर्णित उसके किसी अधिकारी को प्रकट किया जाएगा :

¹ 1914 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा “तार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खण्ड (8), जिसे विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, निरसित किया गया।

⁴ 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 4 द्वारा धारा 4 को धारा 4(1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

⁵ 1948 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा “प्रान्तों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 1930 के अधिनियम सं० 27 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

⁸ 2004 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा (1-4-2002 से) अंतःस्थापित।

⁹ 1972 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्यायित संवाददाताओं के वे प्रेस संदेश जो भारत में प्रकाशित किए जाने के लिए आशयित हैं तब तक अंतरुद्ध या निरुद्ध नहीं किए जाएंगे तब तक उनका पारेषण इस उपधारा के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो।]

6. रेल कंपनी की भूमि पर तारयंत्र स्थापित करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर कोई रेल कंपनी अपनी भूमि के किसी भाग पर तारयंत्र की स्थापना और अनुरक्षण के लिए सरकार को अनुज्ञा देगी और उसके चलाए जाने के लिए हर युक्तियुक्त सुविधा देगी।

¹[**6क. भारत से बाहर देशों में संदेश पारेषित करने के रेट अधिसूचित करने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा ऐसे रेट जिन पर और ऐसी अन्य शर्तें और निर्बन्धन अधिसूचित कर सकेगी जिनके अध्यक्षीन संदेश भारत से बाहर किसी देश में पारेषित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन रेट अधिसूचित करने में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी का सम्यक् ध्यान रखेगी :—

- (क) भारत से बाहर के देशों में संदेशों के पारेषण के तत्समय प्रवृत्त रेट;
- (ख) विदेशी मुद्रा के तत्समय प्रवृत्त रेट;
- (ग) संदेशों के भारत के भीतर पारेषण के तत्समय प्रवृत्त रेट;
- (घ) ऐसे अन्य सुसंगत विषय जो केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे।]

7. तारयंत्रों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति—(1) सरकार या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्तियों द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या चालित सब या किन्हीं तारयंत्रों के संचालन के लिए नियम² जो इस अधिनियम से संगत हों, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन नियम अन्य विषयों के साथ ही निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) वे रेट जिन पर और वे अन्य शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यक्षीन संदेश³[भारत के भीतर] पारेषित किए जाएंगे;
- (ख) संदेशों को अनुचित रूप से अंतरुद्ध या प्रकट करने के निवारण के लिए बरती जाने वाली पूर्वविधानियां;
- (ग) वह कालावधि जिसके लिए, और वे शर्तें, जिनके अध्यक्षीन तारयंत्र अधिकारियों के या उनकी अभिरक्षा में के तारयंत्र और अन्य दस्तावेजें परिरक्षित रखी जाएंगी; और
- (घ) वे फीसें जो किसी तारयंत्र अधिकारी की अभिरक्षा में के तारयंत्रों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी के लिए प्रभारित की जाएंगी;
- ⁴[(ड) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यक्षीन, तारयांत्रिक संचार के लिए कोई तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र स्थापित, अनुरक्षित, चालित किए जाएंगे, उनकी मरम्मत, उनका अन्तरण, स्थानान्तरण किया जाएगा, वे वापस लिए जाएंगे या बंद किए जाएंगे;]
- ⁵[(डड) किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में प्रभार;]
- ⁶[(डडक) वह रीति जिसमें निधि का प्रशासन किया जा सकेगा;
- (डडख) वह कसौटी जिसके आधार पर राशियां निर्मुक्त की जा सकेंगी;]
- (च) निम्नलिखित के संबंध में प्रभार—

(i) किसी तारयांत्रिक लाइन, साधित्र या यंत्र की स्थापना, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अन्तरण या स्थानान्तरण,

(ii) ऐसी लाइन, साधित्र या यंत्र को क्रियान्वित करने वाले आपरेटरों की सेवाएं;

(छ) ऐसी प्रणाली से जिसके अधीन तारयांत्रिक संचार के लिए किसी तारयांत्रिक लाइन, साधित्र या यंत्र की स्थापना, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अन्तरण या स्थानान्तरण से सम्बद्ध अधिकार और बाध्यताएं किसी करार के बल पर

¹ 1971 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

² देखिए भारतीय तार नियम, 1951, भारत का राजपत्र, 1951, भाग 2, खण्ड 3, पृ० 1708।

³ 1971 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1957 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा (1-7-1959 से) अंतःस्थापित।

⁵ 1974 के अधिनियम सं० 48 की धारा 2 द्वारा (1-6-1975 से) अंतःस्थापित।

⁶ 2004 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा (1-4-2002 से) अंतःस्थापित।

संलग्न होती हैं, ऐसी प्रणाली में जिसके अधीन ऐसे अधिकार और बाध्यताएं इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के बल पर संलग्न होती हैं, संक्रमण से संबंधित विषय;

(ज) वह समय जिस पर, यह रीति जिसमें, वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, और वे व्यक्ति जिनके द्वारा इस उपधारा में वर्णित रेट, प्रभार और फीसें चुकाई जाएंगी और ऐसे रेटों, प्रभारों और फीसों के संदाय के लिए प्रतिभूति देना;

(झ) किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी तारयांत्रिक लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था के संबंध में उपगत किसी हानि के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रतिकर का संदाय—

(क) जहां कि वह लाइन, साधित्र या यंत्र अपने उपयोग के लिए संयोजित किए जाने के पश्चात्, इन नियमों के द्वारा नियत कालावधि के अवसान के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा छोड़ दिया जाता है, या

(ख) जहां कि उस लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था किए जाने के प्रयोजन के लिए किया गया काम, अपने उपयोग के लिए संयोजित किए जाने से पूर्व, उस व्यक्ति के किसी कार्य या कार्यलोप द्वारा बेकार हो गया है;

(ज) वे सिद्धान्त जिनके अनुसार, और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा खंड (झ) में निर्देशित प्रतिकर निर्धारित किया जाएगा;

¹[(जज) किसी तारयंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन के लिए नियोजित व्यक्तियों के पास होने वाली अर्हताएं और उनके द्वारा पास की जाने वाली परीक्षाएं, यदि कोई हों, और ऐसी परीक्षाओं के प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें;]

(ट) अन्य कोई विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सब या किन्हीं तारयंत्रों के उचित और कुशल संचालन के लिए व्यवस्था आवश्यक है।]

(3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित, या चालित किसी तारयंत्र के संचालन के लिए नियम बनाते समय केन्द्रीय सरकार उनके किसी भंग के लिए नियमों द्वारा जुर्माने विहित कर सकेगी :

परन्तु ऐसे विहित जुर्माने निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे, अर्थात्—

(i) जब इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति भंग के लिए दंडनीय है, तब एक हजार रुपए और निरन्तर भंग की अवस्था में प्रथम दिन के बाद वाले ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें कि पूरे दिन या उसके किसी भाग में भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना,

(ii) जब ऐसे अनुज्ञप्त व्यक्ति का सेवक या अन्य कोई व्यक्ति भंग के लिए दंडनीय है, तब खंड (i) में विनिर्दिष्ट रकमों का चतुर्थांश।

²[(4) इस धारा में और एतद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि वह—

(क) केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करार करने से जो तारयांत्रिक संचार के साधन उपलब्ध करने के प्रयोजनार्थ किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की उस करार में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों पर उस सरकार द्वारा स्थापना, अनुरक्षण और चालन के लिए हो, उस दशा में प्रवारित करती है जिसमें कि तारयांत्रिक संचार के लिए उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित लाइनों, साधित्रों या यंत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसके साथ ऐसा करार करना आवश्यक या समीचीन है, या

(ख) केन्द्रीय सरकार को इस बाध्यता के अध्यधीन करती है कि वह तारयांत्रिक संचार साधन उपलब्ध करने के प्रयोजन के लिए किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था करे।

³[(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]]

⁵[7क. वर्तमान करारों की व्यावृत्ति—धारा 7 की कोई बात तारयांत्रिक संचार के लिए किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1957

¹ 1961 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 अंतःस्थापित।

² 1957 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा (1-7-1959 से) अंतःस्थापित।

³ 1961 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1974 के अधिनियम सं० 48 की धारा 2 द्वारा (1-6-1975 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1957 के अधिनियम सं० 47 की धारा 3 द्वारा (1-7-1959 से) अंतःस्थापित।

(1957 का 47) के प्रारम्भ से पूर्व किए गए किसी करार को पर्यवसित करने वाले किन्हीं नियमों का बनाना प्राधिकृत नहीं करेगी, और ऐसी स्थापना, अनुरक्षण या चालन से संबंधित तद्धीन सब अधिकार और बाध्यताएं ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार अवधारित की जाएंगी।

7ख. विवादों का माध्यस्थम्—(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय यदि किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र के संबंध में कोई विवाद तारयंत्र प्राधिकारी और उस व्यक्ति के बीच जिसके फायदे के लिए उस लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था की जाती है या की गई है, पैदा होता है तो विवाद का अवधारण माध्यस्थम् द्वारा किया जाएगा और ऐसे अवधारण के प्रयोजनों के लिए वह ऐसे मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार ने उस विवाद के अवधारण के लिए विशेषतः या इस धारा के अधीन विवादों के अवधारण के लिए साधारणतः नियुक्त किया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय विवाद के पक्षकारों के बीच निश्चयक होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।]

8. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण—केन्द्रीय सरकार धारा 4 के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण उसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से किसी के अंग पर या तद्धीन संदेय किसी प्रतिफल के संदाय में चूक होने पर किसी समय कर सकेगी।

9. हानि या नुकसान के लिए सरकार का उत्तरदायी न होना—¹[सरकार] ऐसी किसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो किसी तारयंत्र अधिकारी के किसी संदेश की प्राप्ति, पारेषण या परिदान के संबंध में अपने कर्तव्यों में असफल रहने के परिणामस्वरूप हुई हो; और ऐसा कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि वह उसे उपेक्षापूर्वक, विद्वेषपूर्वक या कपटपूर्वक नहीं करता।

²[भाग 2क

सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि

9क. सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि की स्थापना—(1) भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि” के नाम से एक निधि स्थापित की गई समझी जाएगी।

(2) निधि केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) धारा 9ख के अधीन संदत्त कोई धनराशियां;

(ख) धारा 9ग के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उधार।

(3) निधि की जमा में अतिशेष वित्तीय वर्ष के अंतिम में व्ययगत नहीं होगा।

9ख. भारत की संचित निधि में राशि का जमा करना—धारा 4 के अधीन सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के लिए प्राप्त हुई धनराशियां पहले भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी और केंद्रीय सरकार, यदि संसद् इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध करती है, तो, ऐसे आगमों को समय-समय पर सार्वभौमिक सेवा बाध्यता पूरी करने के लिए उनका अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए निधि में जमा कर सकेगी।

9ग. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार—केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, अनुदान और उधारों के रूप में ऐसी धनराशियां जो वह सरकार आवश्यक समझे, निधि में जमा कर सकेगी।

9घ. निधि का प्रशासन और उपयोग—(1) केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, ऐसी निधि का प्रशासन करने की शक्ति होगी।

(2) निधि का उपयोग सार्वभौमिक सेवा बाध्यता पूरी करने के लिए अनन्य रूप से किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार उस कसौटी के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, राशियों के समन्वय के लिए और उनका समय के उपयोग और निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।]

भाग 3

तारयंत्र लाइनें और खम्बे लगाने की शक्ति

10. तारयंत्र लाइनें और खम्बे लगाने और उन्हें अनुरक्षित रखने की तारयंत्र प्राधिकारी की शक्ति—तारयंत्र प्राधिकारी, समय-समय पर, किसी स्थावर सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे या आर-पार तारयंत्र लाइन और ऐसी सम्पत्ति में या पर खम्बे लगा सकेगा और अनुरक्षित रख सकेगा :

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “क्राउन” शब्द जो भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 2004 के अधिनियम सं० 8 की धारा 5 द्वारा (1-4-2002 से) अंतःस्थापित।

परन्तु—

(क) तारयंत्र प्राधिकारी इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ¹[केन्द्रीय सरकार] द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस भांति स्थापित किए या अनुरक्षित रखे जाने वाले तारयंत्र के प्रयोजनों के लिए करने के सिवाय नहीं करेगा,

(ख) ¹[केन्द्रीय सरकार] उस सम्पत्ति में जिसके नीचे, ऊपर सहारे, आर-पार में या पर तारयंत्र प्राधिकारी कोई तारयंत्र लाइन या खम्बे लगाता है, केवल उपयोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगी, और

(ग) इसके पश्चात् इसमें उपबन्धित के सिवाय, तारयंत्र प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग ऐसी किसी सम्पत्ति की बाबत, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित है या उसके नियंत्रण में या प्रबन्धाधीन है, उक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा, और

(घ) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में तारयंत्र प्राधिकारी यथासम्भव अल्पतम नुकसान करेगा, और जब उसने उन शक्तियों का प्रयोग खंड (ग) में निर्दिष्ट सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के संबंध में किया हो तब वह सब हितवद्ध व्यक्तियों को उन शक्तियों के प्रयोग के कारण उनको हुए किसी नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिकर देगा।

11. तारयंत्र लाइनों या खम्बों की मरम्मत करने या उन्हें हटाने के लिए सम्पत्ति में प्रवेश करने की शक्ति—तारयंत्र प्राधिकारी किसी तारयंत्र लाइन या खम्बे की परीक्षा करने, मरम्मत करने, बदलने या हटाने के प्रयोजन के लिए किसी समय उस सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा जिसके नीचे, ऊपर, सहारे, आर-पार, में या पर वह लाइन या खम्बा लगाया गया है।

स्थानीय प्राधिकारियों में निहित या उनके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन सम्पत्ति को लागू उपबन्ध

12. धारा 10 के खंड (ग) के अधीन अनुज्ञा, शर्तों के अध्यक्षीन देने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति—धारा 10 के खंड (ग) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई कोई अनुज्ञा ऐसी युक्तियुक्त शर्तों के अध्यक्षीन दी जा सकेगी, जैसी वह प्राधिकारी उन व्ययों के संदाय की बाबत, जो उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस प्राधिकारी को निश्चय ही करने पड़ेंगे या किसी काम के निष्पादन के समय या ढंग की बाबत या उन शक्तियों के अधीन उस तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी काम से संबंधित या सम्बद्ध किसी अन्य बात की बाबत, अधिरोपित करना ठीक समझे।

13. तारयंत्र लाइन या खम्बे हटाने या बदलने की अपेक्षा करने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति—जब इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कोई तारयंत्र लाइन या खम्बा तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी सम्पत्ति के, जो स्थानीय प्राधिकारी में निहित है या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध में है, नीचे, ऊपर, सहारे, आर-पार, में या पर लगाया गया है और स्थानीय प्राधिकारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, जो तारयंत्र लाइन या खम्बे के इस भांति लगाए जाने के समयोपरान्त पैदा हुई हैं यह समीचीन समझता है कि उसे हटाया जाना चाहिए, या उसकी स्थिति बदली जानी चाहिए, तब स्थानीय प्राधिकारी, यथास्थिति, उसे हटाने या उसकी स्थिति बदलने की अपेक्षा तारयंत्र प्राधिकारी से कर सकेगा।

14. गैस या जल के पाइपों या नालियों की स्थिति बदलने की शक्ति—तारयंत्र प्राधिकारी, किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी सम्पत्ति के संबंध में इस अधिनियम द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए गैस या जल के प्रदाय के लिए किसी पाइप की (जो मुख्य न हो) या किसी नाली की (जो मुख्य नाली न हो) सम्पत्ति के नीचे स्थिति बदल सकेगा :

परन्तु—

(क) जब तारयंत्र प्राधिकारी किसी ऐसे पाइप या नाली की स्थिति बदलना चाहता है, तो वह ऐसा करने के अपने आशय की युक्तियुक्त सूचना, उस समय को विनिर्दिष्ट करते हुए जब कि वह ऐसा करना प्रारम्भ करेगा, स्थानीय प्राधिकारी को और जब पाइप या नाली स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति को जिसके नियंत्रण के अधीन पाइप या नाली है, देगा,

(ख) खंड (क) के अधीन सूचना पाने वाला स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति काम का अधीक्षण करने के लिए कोई व्यक्ति भेज सकेगा और प्राधिकारी काम का निष्पादन ऐसे भेजे गए व्यक्ति को युक्तियुक्त संतोषप्रद रूप में करेगा।

15. तारयंत्र प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद—(1) यदि इस बात के परिणामस्वरूप कि स्थानीय प्राधिकारी ने धारा 10 के खंड (ग) में निर्दिष्ट अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया है या धारा 12 के अधीन कोई शर्तें विहित की हैं या तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन की गई किसी अध्यक्षीयता का अनुवर्तन न करने के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई विवाद इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के संबंध में तारयंत्र प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी के बीच पैदा हो, तो वह ऐसे अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसे ¹[केन्द्रीय सरकार] या तो साधारणतया या विशेषतः इस निमित्त नियुक्त करे।

(2) ऐसे नियुक्त किए गए अधिकारी के अवधारण से अपील ¹[केन्द्रीय सरकार] को की जाएगी; और ¹[केन्द्रीय सरकार] का आदेश अंतिम होगा।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अन्य सम्पत्ति को लागू उपबन्ध

16. स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति की अवस्था में धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उक्त अवस्था में प्रतिकर की बाबत विवाद—(1) यदि धारा 10 के खंड (घ) में निर्दिष्ट सम्पत्ति के संबंध में उक्त धारा में वर्णित शक्तियों के प्रयोग का प्रतिरोध किया जाता है या उसमें बाधा डाली जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार आदेश दे सकेगा कि तारयंत्र प्राधिकारी को उनका प्रयोग करने दिया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आदेश दिए जाने के पश्चात् कोई व्यक्ति उन शक्तियों के प्रयोग का प्रतिरोध करता है, या सम्पत्ति पर नियंत्रण रखते हुए उनका प्रयोग किए जाने के लिए सब सुविधाएं नहीं देता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन अपराध किया है।

(3) यदि धारा 10 के खंड (घ) के अधीन संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की पर्याप्तता की बाबत कोई विवाद पैदा होता है, तो वह दोनों विवादी पक्षकारों में से किसी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन उस जिला न्यायाधीश से किए जाने पर, जिसकी अधिकारिता के भीतर सम्पत्ति स्थित है, उक्त न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(4) यदि उन व्यक्तियों के बारे में जो प्रतिकर पाने के हकदार हैं या उन अनुपातों के बारे में, जिनमें हितबद्ध व्यक्ति उसमें अंश पाने का हकदार है, कोई विवाद पैदा होता है, तो ऐसी रकम, जिसे तारयंत्र प्राधिकारी पर्याप्त समझता है या जहां समस्त विवादी पक्षकारों ने निविदत्त रकम का पर्याप्त होना लिखित रूप में स्वीकारोक्त कर लिया है या रकम उपधारा (3) के अधीन अवधारित की गई है वहां वह रकम तारयंत्र प्राधिकारी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करेगा और जिला न्यायाधीश पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् और उनमें से ऐसों को सुनने के पश्चात्, जो सुने जाने की वांछा करते हैं, यथास्थिति, उन व्यक्तियों को, जो प्रतिकर पाने के हकदार हैं, या उन अनुपातों को, जिनमें हितबद्ध व्यक्ति उसमें अंश पाने के हकदार हैं, अवधारित करेगा।

(5) विवाद का जिला न्यायाधीश द्वारा उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किया गया प्रत्येक अवधारण अंतिम होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई पूरा प्रतिकर या उसका कोई भाग उस व्यक्ति से, जिसे वह मिला है, वाद द्वारा वसूल करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

17. स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति पर की तारयंत्र लाइन या खम्बा हटाना या बदलना—(1) जब इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कोई तारयंत्र लाइन या खम्बा तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसी सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे, आर-पार, में या पर लगाया गया है जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन नहीं है और उस सम्पत्ति से बरतने के लिए हकदार व्यक्ति उससे इस प्रकार बरतना चाहता है जिससे यह आवश्यक और सुविधाजनक होता है कि उस तारयंत्र लाइन या खम्बे को हटाकर उस सम्पत्ति के किसी अन्य भाग में या किसी उच्चतर या निम्नतर तल में ले जाया जाए या उसका रूप बदल दिया जाए तो वह तारयंत्र प्राधिकारी से उस लाइन या खम्बे को तदनुकूल हटाने या बदलने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यदि धारा 10 के खण्ड (घ) के अधीन प्रतिकर दिया जा चुका है तो वह अध्यपेक्षा करते समय तारयंत्र प्राधिकारी को वह रकम, जो उस हटाए जाने या बदले जाने के व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित हो अथवा प्रतिकर के रूप में संदत्त रकम की आधी रकम, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, वह निविदत्त करेगा।

(2) यदि तारयंत्र प्राधिकारी अध्यपेक्षा के अनुवर्तन में कार्यलोप करता है, तो अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसकी अधिकारिता के भीतर सम्पत्ति स्थित है, ऐसे हटाने या बदलने का आदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर स्वविवेकानुसार या तो उसे अस्वीकृत कर सकेगा या तारयंत्र लाइन या खम्बे को, उस सम्पत्ति के किसी अन्य भाग में या उच्चतर या निम्नतर तल में हटाने के लिए या उसके रूप को बदलने के लिए आत्यन्तिक रूप से या शर्तों सहित आदेश दे सकेगा और इस भांति दिया गया आदेश अंतिम होगा।

समस्त सम्पत्ति को लागू उपबन्ध

18. तारयांत्रिक संचार में विघ्न डालने वाले पेड़ों को हटाना—(1) यदि किसी तारयंत्र लाइन के निकट खड़ा या पड़ा हुआ कोई पेड़ तारयांत्रिक संचार में विघ्न डालता है या उससे विघ्न पड़ने की संभावना है, तो प्रथम या द्वितीय वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, तारयंत्र प्राधिकारी के आवेदन पर पेड़ को हटवा सकेगा या उसके संबंध में ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट उस अवस्था में, जिसमें कोई पेड़ उस तारयंत्र लाइन के लगाए जाने से पहले विद्यमान था, पेड़ में हितबद्ध व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा जैसा वह युक्तियुक्त समझता है और वह अधिनिर्णय अंतिम होगा।

19. इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व लगाई गई तारयंत्र लाइन और खम्बे—¹[केन्द्रीय सरकार] द्वारा स्थापित या अनुरक्षित तारयंत्र के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व किसी सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे, आर-पार, में या पर

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

लगाई गई प्रत्येक तारयंत्र लाइन या खम्बे की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और इसकी समस्त अपेक्षाओं के अनुपालन के पश्चात् लगाया गया है।

¹[19क. ऐसे व्यक्ति द्वारा सूचना का दिया जाना जिसके द्वारा वैध अधिकार के प्रयोग से तारयंत्र को नुकसान होने या तारयांत्रिक संचार में विघ्न पड़ने की संभाव्यता हो—(1) कोई व्यक्ति जो किसी अधिकार का वैध रूप से प्रयोग करने में किसी सम्पत्ति से इस प्रकार बरतना चाहता है जिससे किसी ऐसी तारयंत्र लाइन या खम्बे को जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक्तः लगाया गया हो नुकसान होने या तारयांत्रिक संचार में विघ्न या हस्तक्षेप होने की संभाव्यता हो, ऐसे अधिकार के प्रयोग करने के अपने आशय की एक मास से अनूयन की लिखित सूचना तारयंत्र प्राधिकारी को या किसी ऐसे तारयंत्र अधिकारी को देगा जिसे वह तारयंत्र प्राधिकारी इस निमित्त सशक्त करे।

(2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का अनुवर्तन किए बिना किसी सम्पत्ति से इस प्रकार बरतता है जिससे किसी तारयंत्र लाइन या खम्बे को नुकसान होने या तारयांत्रिक संचार में विघ्न या हस्तक्षेप होने की संभाव्यता हो तो प्रथम या द्वितीय वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, तारयंत्र प्राधिकारी के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह उस सम्पत्ति से उस प्रकार बरतने से उसके आदेश की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावधि तक प्रविरत रहे और उस सम्पत्ति के बारे में तुरन्त ऐसी कार्रवाई करे जैसी उस मजिस्ट्रेट की राय में ऐसी कालावधि के दौरान ऐसे नुकसान, विघ्न या हस्तक्षेप का उपचार या निवारण करने के लिए आवश्यक हो।

(3) कोई व्यक्ति जो अपने को या किसी अन्य मानव प्राणी को शारीरिक क्षति के आसन्न खतरे से बचाने के सद्भावपूर्ण आशय से किसी सम्पत्ति से उस प्रकार बरतता है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उक्त उपधारा के उपबंधों का अनुवर्तन कर दिया है यदि वह उस अधिकार के आशयित प्रयोग की ऐसी सूचना देता है जैसी परिस्थितियों में सम्भव है या जहां ऐसी कोई पूर्ववर्ती सूचना ऊपर निर्दिष्ट आसन्न खतरा मोल लिए बिना नहीं दी जा सकती वहां वह ऐसे अधिकार के वास्तविक प्रयोग की सूचना उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारी को तुरन्त दे देता है।

19ख. इस भाग के अधीन तारयंत्र प्राधिकारी की शक्तियों को अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त करने की शक्ति—सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे स्थापित किए या अनुरक्षित रखे जाने वाले तारयंत्र की बाबत जो शक्तियां तारयंत्र प्राधिकारी के पास इस भाग के अधीन हैं उन सब को या उनमें से किसी को ²[केन्द्रीय सरकार] धारा 4 के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अपनी अनुज्ञप्ति के विस्तार की बाबत और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, जैसे केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे और इस भाग के उपबंधों के अधीन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदत्त कर सकेगी :

परन्तु धारा 19क में विहित सूचना तारयंत्र प्राधिकारी या धारा 19क(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को सदैव दी जाएगी।]

भाग 4

शास्तियां

³[20. अप्राधिकृत तारयंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के उपबंधों के उल्लंघन में या उस धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अनुज्ञात रूप से अन्यथा कोई तारयंत्र ⁴[भारत] के भीतर स्थापित, अनुरक्षित या चालित करेगा, तो वह उस दशा में जिसमें वह तारयंत्र बेतार का तारयंत्र है कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से अथवा दोनों से और किसी अन्य दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बेतार के तारयंत्र के विषय में इस धारा के अधीन अपराध उक्त संहिता के प्रयोजनों के लिए जमानतीय और असंज्ञेय होंगे।

(3) जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है तब वह न्यायालय, जिसके सामने वह सिद्धदोष किया जाता है, यह निदेश दे सकेगा कि जिस तारयंत्र की बाबत अपराध किया गया है, वह या ऐसे तारयंत्र का कोई भाग, सरकार के पक्ष में सपमहृत कर लिया जाए।]

⁵[20क. अनुज्ञप्ति की शर्त का भंग—यदि धारा 4 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति का धारक अपनी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और प्रत्येक ऐसे सप्ताह के लिए, जिसके दौरान शर्त का भंग जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।]

21. अप्राधिकृत तारयंत्रों का उपयोग करना—यदि कोई व्यक्ति जो यह जानता है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी तारयंत्र की स्थापना या उसका अनुरक्षण या चालन इस अधिनियम के उल्लंघन में किया गया है, ऐसे तारयंत्र से कोई

¹ 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 5 द्वारा धारा 19क और धारा 19ख अंतःस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1948 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा “प्रान्तों” अंतःस्थापित।

⁵ 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

संदेश पारेषित करेगा या प्राप्त करेगा या उससे आनुषंगिक कोई सेवा करेगा या ऐसे तारयंत्र से पारेषण के लिए कोई संदेश देगा या उस द्वारा भेजे गए किसी संदेश का परिदान प्रतिगृहीत करेगा, तो वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

22. रेल भूमि पर तारयंत्रों की स्थापना का विरोध—यदि कोई रेल कम्पनी या किसी रेल कम्पनी का कोई अधिकारी धारा 6 के उपबंधों की उपेक्षा करेगा या अनुवर्तन से इंकार करेगा तो वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान उपेक्षा या इंकार जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।

23. संकेत कक्ष में बलात् प्रवेश, तारयंत्र कार्यालय में अतिचार या बाधा डालना—यदि कोई व्यक्ति—

(क) सरकार के या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यक्ति के तारयंत्र कार्यालय के संकेत कक्ष में सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा, या

(ख) ऐसे तारयंत्र कार्यालय के चारों ओर वाले बाड्युक्त अहाते में प्रवेश किसी नियम के या ऐसा न करने की सूचना के उल्लंघन में करेगा, या

(ग) उस कक्ष या घेरे में से निकल जाने से इंकार करेगा जब कि उसमें नियोजित किसी अधिकारी या सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाए, या

(घ) किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के स्वकर्तव्य पालन में जानबूझकर बाधा या अड़चन डालेगा,

तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

24. संदेशों की अंतर्वस्तुओं को जानने का विधिविरुद्धतया प्रयत्न करना—यदि कोई व्यक्ति धारा 23 में वर्णित कार्यों में से कोई कार्य किसी संदेश की अन्तर्वस्तु को विधिविरुद्धतया जानने के या इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने के आशय से करेगा तो वह (उस जुर्माने के अतिरिक्त जिससे कि वह धारा 23 के अधीन दंडनीय है) कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

25. तारयंत्रों को साशय नुकसान पहुंचाना या बिगाड़ना—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी संदेश या पारेषण या परिदान निवारित या बाधित करने के, या

(ख) किसी संदेश की अन्तर्वस्तु अन्तरुद्ध करने या स्वयं जान लेने के, या

(ग) रिष्टि करने के,

आशय से ऐसी किसी बैटरी, मशीनरी, तारयंत्र लाइन, खम्बे या अन्य चीज को, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, जो किसी तारयंत्र या उसके चालन का भाग है या उसमें या उसके बारे में प्रयुक्त होती है, नुकसान पहुंचाएगा, हटाएगा, बिगाड़ेगा या छुएगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

¹**25क. तारयंत्र लाइन या खम्बे को क्षति पहुंचाना या उसमें हस्तक्षेप करना**—यदि किसी ऐसी दशा में जिसके लिए धारा 25 द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति से बरतेगा और तद्द्वारा उस तारयंत्र लाइन या खम्बे को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक नुकसान पहुंचाएगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी सम्पत्ति पर सम्यकरूपेण लगाए गए हैं तो वह तारयंत्र प्राधिकारी को ऐसे व्यय (यदि कोई हों) देने के दायित्वाधीन होगा, जैसे ऐसे नुकसानों की पूर्ति करने में उपगत किए गए हों और यदि तारयांत्रिक संचार में, ऐसे हुए नुकसान के कारण, विघ्न पड़ गया हो तो वह जुर्माने से भी, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परन्तु जहां ऐसा नुकसान या विघ्न ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित हुआ है जो किसी सम्पत्ति से अपने अधिकार के वैध प्रयोग में बरतता है वहां यदि उसने धारा 19क (1) के उपबंधों का अनुवर्तन कर दिया है तो इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे।

26. तारयंत्र अधिकारी या अन्य अधिकारी का संदेशों को नष्ट करना या बदलना या विधिविरुद्धतया अन्तरुद्ध या प्रकट करना या संकेतों का अभिप्रायः प्रकट करना—यदि कोई तारयंत्र अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति, जो तारयंत्र अधिकारी नहीं है किन्तु जिसके पदीय कर्तव्य तारयंत्र कार्यालय के रूप में प्रयुक्त किसी कार्यालय से संबंधित हैं—

(क) ऐसे किसी संदेश को, जिसे उसने पारेषण या परिदान के लिए प्राप्त किया है, जानबूझकर छिपाएगा, नष्ट करेगा या बदलेगा, या

(ख) किसी संदेश या उसके किसी भाग का पारेषण करने में लोप या उसे अन्तरुद्ध या उसका निरोध, जानबूझकर और केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार के आदेश या ऐसा आदेश देने के लिए ²[केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा] विशिष्टतया प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के पालन से अन्यथा करेगा अथवा किसी संदेश की अन्तर्वस्तुएं या अन्तर्वस्तुओं का कोई भाग

¹ 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अपने पदीय कर्तव्य के अनुसरण से या सक्षम न्यायालय के निदेश के पालन से अन्यथा ऐसे किसी व्यक्ति को प्रकट करेगा जो उसे प्राप्त करने का हकदार नहीं है, या

(ग) किसी तारयांत्रिक संकेत का अभिप्राय: ऐसे किसी व्यक्ति को प्रकट करेगा जो उसे जान लेने का हकदार नहीं है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

27. तारयंत्र अधिकारी का संदाय के बिना कपटपूर्वक संदेशों को भेजना—यदि कोई तारयंत्र अधिकारी तारयंत्र द्वारा कोई ऐसा संदेश पारेषित करेगा जिस पर, यथास्थिति, ¹[केन्द्रीय सरकार] द्वारा या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति द्वारा विहित प्रभार नहीं दिया गया है और यह बात ¹[केन्द्रीय सरकार] या उस व्यक्ति से कपट करने के आशय से की गई है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

28. अवचार—यदि कोई तारयंत्र अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति, जो तारयंत्र अधिकारी नहीं है किन्तु जिसके पदीय कर्तव्य तारयंत्र कार्यालय के रूप में प्रयुक्त किसी कार्यालय से संबंधित हैं, मत्तता, असावधानी या अन्य अवचार के किसी कार्य का दोषी होगा, जिससे किसी संदेश के सही पारेषण या परिदान में अड़चन पड़ती है या विलम्ब होता है, या यदि कोई तारयंत्र अधिकारी किसी संदेश के पारेषण या परिदान में कालक्षेप या विलम्ब करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

29. झूठा संदेश भेजना।—भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 33) की धारा 4 द्वारा निरसित।

²[29क. शास्ति—यदि कोई व्यक्ति सम्यक् प्राधिकार के बिना—

(क) ऐसे प्रकार की किसी दस्तावेज को बनाएगा या जारी करेगा जो यह विश्वास कराने के लिए युक्तियुक्तरूपेण प्रकल्पित है कि वह दस्तावेज ³[डाकतार] महानिदेशक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी की गई है, या

(ख) किसी दस्तावेज पर कोई ऐसा चिह्न बनाएगा जो ³[डाकतार] महानिदेशक के अधीन किसी तारयंत्र कार्यालय के किसी स्टाम्प या चिह्न की अनुकृति या उसके समान अथवा वही होना तात्पर्यित हो या इस प्रकार का चिह्न बनाएगा जो यह विश्वास कराने के लिए युक्तियुक्तरूपेण प्रकल्पित है कि इस प्रकार चिह्नित दस्तावेज ³[डाकतार] महानिदेशक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी की गई है,

तो वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।]

30. भूल से परिदत्त संदेश को प्रतिधृत रखना—यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी संदेश को कपटपूर्वक प्रतिधृत रखेगा या जानबूझकर छिपाएगा, नष्ट करेगा या निरुद्ध करेगा जो किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त किया जाना चाहिए अथवा किसी तारयंत्र अधिकारी द्वारा ऐसे किसी संदेश को परिदान करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर भी ऐसा करने में उपेक्षा करेगा या इंकार करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जमाने से, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

31. रिश्वत—तारयंत्र अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 161, 162, 163, 164 और 165 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा; और उक्त धारा 161 में अन्तर्विष्ट “वैध पारिश्रमिक” की परिभाषा में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “सरकार” शब्द की बाबत यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति भी है।

32. अपराध करने के प्रयत्न—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह उस अपराध के लिए इसमें उपबन्धित दंड से दंडित किया जाएगा।

भाग 5

अनुपूरक उपबंध

33. उन स्थानों में जहां तारयंत्रों के संबंध में रिष्टि बार-बार की जाती है, अतिरिक्त पुलिस के नियोजन की शक्ति—(1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी तारयंत्र सदोष नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की संभावना वाला कोई कार्य किसी स्थान में बार-बार और विद्वेषपूर्ण रूप में किया जाता है और अतएव उस स्थान में अतिरिक्त पुलिस-बल के नियोजन की आवश्यकता हो गई है, तब राज्य सरकार उस स्थान में ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल को भेज सकेगी, जैसा वह ठीक समझती है, और उसे वहां तब तक के लिए नियोजित रख सकेगी जब तक के लिए उस सरकार की राय में ऐसा करने की आवश्यकता बनी रहती है।

(2) उस स्थान के निवासियों पर अतिरिक्त पुलिस बल के खर्चे का प्रभार डाला जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, उस अनुपात को निर्धारित करेगा जिसमें निवासियों द्वारा खर्चा उनके अपने साधनों के बारे में उसके निर्णय के अनुसार दिया जाएगा।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 1914 के अधिनियम सं० 14 की धारा 2 द्वारा “तार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) उपधारा (2) के अधीन देय समस्त धन या तो मजिस्ट्रेट के अधिपत्र के अधीन उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा वसूलीय होगा ।

(4) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान की सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी ।

¹[34. अधिनियम का प्रेसिडेन्सी नगरों को लागू होना—(1) यह अधिनियम प्रेसिडेन्सी नगरों को अपने लागू किए जाने में इस भांति पढ़ा जाएगा मानो धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (2) और (3) में “जिला मजिस्ट्रेट” शब्दों के लिए और धारा 18 की उपधारा (1) ²[और धारा 19क की उपधारा (2)] में “प्रथम या द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट” शब्दों के लिए और धारा 18 की उपधारा (2) में “मजिस्ट्रेट” शब्द के लिए “पुलिस आयुक्त” शब्द और धारा 16 की उपधारा (3), (4) और (5) में “जिला न्यायाधीश” शब्दों के लिए “लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश” शब्द अधिनियमित किए गए हों ।

³*

*

*

*

*

(3) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आवेदन के लिए फीस वही होगी जो न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन प्रेसिडेन्सी नगर की सीमाओं से बाहर जिला न्यायाधीश से ऐसे आवेदन के लिए होती है और उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों में सम्मनों और अन्य आदेशिकाओं के लिए फीस प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) की चतुर्थ अनुसूची में उपवर्णित मान के अनुसार देय होगी ।]

⁴35. [भाग ख राज्यों की कतिपय विधियों के प्रति निर्देश]—भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

¹ 1888 के अधिनियम सं० 11 की धारा 1 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 1914 के अधिनियम सं० 7 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित ।

³ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।

⁴ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती धारा जो 1948 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित की गई थी, के स्थान पर प्रतिस्थापित ।